रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022020-216415
CG-DL-E-26022020-216415

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 780]	**नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2020/फाल्गुन 6, 1941**
No. 780]	**NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020/PHALGUNA 6, 1941**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2020

का.आ. 853(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की धारा 17 और उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद, यह मत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक एवं हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इस आदेश को खिलौना (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश दिनांक 01.s09.2020 से प्रभावी होगा।

2. अनुप्रयोग- यह आदेश, जब तक कि किसी अन्य संदर्भ में अपेक्षित न हो—

(क) यह गुणवत्ता नियंत्रण आदेश ऐसे उत्पादों (खिलौनों) अथवा सामान अथवा स्पष्ट रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई वस्तुओं, चाहे केवल इसी प्रयोजन से बनाई गई हो अथवा नहीं, अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य उत्पाद पर लागू होगा।

(ख) यह आदेश ऐसे खिलौनों पर लागू होगा जो बच्चों को शुरुआत में प्राप्त होते हैं और, इसके अलावा, यह आदेश, जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लिखित न हो, खिलौना सामान्य इस्तेमाल की भावी दशाओं तथा इसके गलत इस्तेमाल न होने की उपयुक्तता के अधीन है, के बाद उस पर लागू होगा।

3. मानक का अनुपालन और मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग—निम्नलिखित तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं या सामान पर इस आदेश से कुछ भी लागू नहीं होगा।

4. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण—ब्यूरो उक्त तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के संबंध में प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

तालिका

वस्तु या सामान	**भारतीय मानक**	**भारतीय मानक का शीर्षक**
(1)	(2)	(3)
खिलौने	आईएस 9873 (भाग 1) : 2018	खिलौनों की सुरक्षा भाग 1 मैकेनिकल और भौतिक सामान से संबंधित सुरक्षा पहलू
	आईएस 9873 (भाग 2) : 2017	खिलौनों की सुरक्षा भाग 2 ज्वलनशीलता
	आईएस 9873 (भाग 3) : 2017	खिलौनों के लिए सुरक्षा आवश्यकता भाग 3 कतिपय तत्वों में बदलाव
	आईएस 9873 (भाग 4) : 2017	खिलौनों की सुरक्षा भाग 4 स्विंग, स्लाइड्स और इसी प्रकार के इंडोर ओर आउटडोर फैमिली उपयोग वाले खिलौने
	आईएस 9873 (भाग 7) : 2017	खिलौनों की सुरक्षा भाग 7 फिंगर पेंट्स के लिए आवश्यकता और जांच पद्धति
	आईएस 9873 (भाग 9) : 2017	खिलौनों की सुरक्षा भाग 9 खिलौनों और बच्चों के उत्पादों में कतिपय थैलेट्स ईस्टर्स
	आईएस 15644: 2006	इलैक्ट्रिक खिलौनों की सुरक्षा

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए संशोधनों सहित भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करण ऐसी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे। ।

[फा. सं. 11(4)/2017-सीआई]

मनमीत के. नंदा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 25th February, 2020

S.O. 853(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau, is of the opinion that it is necessary and expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title and commencement**.—(1) This Order may be called the Toys (Quality Control) Order, 2020.

(2) It shall come into force with effect from 01.09.2020.

2. **Application**.-In this order, unless the context otherwise requires—

(a) This Quality Control Order shall apply to (Toys) Product or material designed or clearly intended, whether or not exclusively, for use in play by children under 14 years of age or any other product as notified by the Central Government from time to time;

(b) This order shall apply to Toys as they are initially received by the children and, in addition, this shall apply after a toy is subjected to reasonably foreseeable conditions of normal use and abuse unless specifically noted otherwise.

3. **Conformity to standard and compulsory use of Standard Mark**.—The goods or articles specified in the column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard (s) mentioned in the column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles meant for export.

4. **Certification and enforcement authority**.—The Bureau shall be the certifying and enforcement authority for the goods or articles specified in column (1) of the following Table.

TABLE

Goods or articles	**Indian Standard**	**Title of Indian Standard**
(1)	**(2)**	**(3)**
Toys	IS 9873 (Part 1) : 2018	Safety of Toys Part l Safety Aspects Related to Mechanical and Physical Properties.
	IS 9873 (Part 2) : 2017	Safety of Toys Part 2 Flammability.
	IS 9873 (Part 3) : 2017	Safety Requirements for Toys Part 3 Migration of Certain Elements.
	IS 9873 (Part 4) : 2017	Safety of Toys Part 4 Swings, Slides and Similar Activity Toys for Indoor and Outdoor Family Domestic Use.
	IS 9873 (Part 7) : 2017	Safety of Toys Part 7 Requirements and Test Methods for Finger Paints.
	IS 9873 (Part 9) : 2017	Safety of Toys Part 9 Certain Phthalates Esters in Toys and Children's Products.
	IS 15644: 2006	Safety of Electric Toys.

Note : For the purposes of Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issued thereof, as notified by the Bureau from time to time, shall apply from date of such notification.

[F. No. 11(4)/2017-C.I]

MANMEET K. NANDA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.02.26 21:45:25 +05'30'